भारतीय संविधान के दार्शनिक आधार तत्व

संविधान की प्रस्तावना संविधान का सार है। प्रस्तावना में ही संविधान का दर्शन निहीत है। संविधान के दर्शन से अभिप्राय उन आदर्शों से है जिससे भारतीय संविधान अभिप्रेरित हुआ है तथा उन नीतियों से है जिन पर यह संविधान और शासन प्रणाली आधारित है। प्रस्तावना को संविधान की उद्देशिका भी कहा जाता है। वास्तव में संविधान की प्रस्तावना का आधार पं. जवाहर लाल नेहरू द्वारा 13 दिसम्बर, 1946 को संविधान निर्मात्री सभा के सामने स्वतंत्र भारत के भावी स्वरूप की प्रस्तुत की गई बुनियादी रूपरेखा है, जिसको उन्होंने उद्देश्य पत्र कहकर सम्बोधित किया था और जिसमें स्वतंत्र भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्वरूप का प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत किया था।

प्रख्यात न्यायविद् व संवैधानिक विशेषज्ञ एन. ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। प्रारूप समिति के सदस्य श्री के. एम. मुंशी प्रस्तावना को सम्प्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्यफल मानते हैं। प्रारूप समिति के एक अन्य सम्मानित सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव संविधान की प्रस्तावना के सम्बन्ध में कहते हैं कि 'प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। यह संविधान की आत्मा है। यह संविधान की कुंजी है। यह संविधान का आभुषण है। यह एक उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है।' डा. भीम राव अम्बेडकर के अनुसार, 'प्रस्तावना यह स्पष्ट कर देती है कि इस संविधान का आधार जनता है और इनमें निहित प्राधिकार और प्रभुसत्ता सब जनता से प्राप्त हुई है।'

प्रस्तावना में शामिल कुछ शब्द संविधान के दार्शनिक पक्ष को दर्शाते हैं, जैसे – सम्प्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र शब्द भारतीय राजव्यवस्था की प्रकृति के बारे में बताते हैं और न्याय, स्वतंत्रता व समानता तथा बंधुत्व शब्द भारतीय संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हैं।

सम्प्रभुता– भारत एक सम्प्रभु देश है। यह अपने बाहरी और आंतरीक दोनों मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। एक सम्प्रभु राज्य होने के कारण यह किसी विदेशी सीमा का अधिग्रहण कर सकता है और अपनी सीमा के किसी भाग पर अपना दावा छोड़ सकता है। हालांकि भारत कई संगठनों का सदस्य है और साथ हि इसने राष्ट्रमण्डल और संयुक्त राष्ट्र की भी सदस्यता स्वीकार की है। लेकिन उनके निर्णयों को मानने के लिए भारत बाध्य नहीं है। इन संगठनों की सदस्यता भारत की सम्प्रभुता को न तो प्रभावित करती है और न हि सीमित करती है।

समाजवाद– समाजवादी शब्द का उल्लेख भारत के मूल संविधान में नहीं किया गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया है। लेकिन संविधान सभा के उद्देश्यों और संविधान सभा में हुई बहसों के आधार पर तथा संविधान के कई अनुच्छेदों द्वारा एक सामाजवादी राज्य की स्थापना के उद्देश्यों को देखते हुए संविधान में इस शब्द का जोड़ा जाना केवल राज्य के समाजवादी स्वरूप को आमजनमानस के लिए और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करता हुआ ही प्रतीत होता है। नेहरू के प्रस्ताव को साकार रूप प्रदान करते हुए भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है जो कि साम्यवादी समाजवाद से भिन्न है। यह समाजवाद की स्थापना के लिए क्रांति का सहारा नहीं लेता बल्कि लोकतांत्रिक माध्यमों का प्रयोग करके देश में एक समाजवादी राज्य की स्थापना करना चाहता है। यहां उत्पादन और वितरण के साधनों पर निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अधिकार रहता है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहतें हैं। भारतीय समाजवाद का चरित्र गांधीवादी समाजवाद की ओर झुका हुआ है, जिसका उद्देश्य अभाव, उपेक्षा और अवसरों की असमानता का अंत करना है।

पंथनिरपेक्ष– भारत में सभी धर्म समान हैं और सभी धर्मों को सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। यही कारण है कि भारत किसी भी धर्म विशेष को धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। हालांकि धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख मूल संविधान में कहीं नहीं किया गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। लेकिन फिर भी भारतीय संविधान में कुछ अनुच्छेद पहले से ही मौजूद हैं जो भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को मान्यता प्रदान करते हैं। जैसे- अनुच्छेद 14, जो बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और समान कानूनी संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 15, जो धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार के भेदभाव की मनाहीं करता है। अनुच्छेद 16, सार्वजनिक सेवाओं में भारत के सभी नागरीकों को समान अवसर दिए जाने की बात करता है। अनुच्छेद 25, प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने व उसके अनुसार पूजा-अर्चना करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 26, और 27 क्रमशः व्यक्ति अथवा समूहों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने और धर्म विशेष का प्रचार प्रसार करने की अनुमति देता है। लेकिन संविधान द्वारा प्राप्त इन अधिकारों के आधार पर किसी व्यक्ति को अपने धर्म विशेष के प्रचार के लिए चंदा देने के किसी को बाध्य करने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 28, सरकारी सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्थान में धार्मिक उपदेश देने की मनाही करता है। अनुच्छेद 29, नागरीकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार देता है तथा अनुच्छेद 30

अल्पसंख्यकों (धार्मिक और भाषायी) को अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान खोलने और उनके संचालन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 44, राज्य को सभी नागरीकों के लिए समान नागरीक संहिता बनाने का निर्देश देता है। स्पष्ट है कि संविधान में उल्लिखित अनुच्छेदों के माध्यम से भारत अपनी धर्मनिरपेख छवि को बनाए रखने में सफल हुआ है।

लोकतांत्रिक–संविधान सभा के सदस्य भारत में एक लोकतांत्रिक संविधान की रचना करने के लिए प्रतिबद्ध थे। वे देश की मौजूदा समस्याओं को हल करने का एक मात्र उपाय संवैधानिक व्यवस्थाओं में ढूंढ रहे थे। क्योंकि वे भारत में कोई साम्यवादी क्रांति नहीं चाहते थे। संविधान सभा में सभा के सदस्यों को सम्बोधित करते हुए नेहरू ने कहा था कि इस सभा का पहला दायित्व भारत को संविधान प्रदान करके स्वतंत्र घोषित करना, भूखी जनता के लिए भोजन तथा वस्त्रहीन के लिए कपड़ों का प्रबंध करना और भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम अवसर मुहैया कराना है ताकि वह अपनी क्षमता के अनुसार विकास कर सके। इस प्रकार नेहरू के इस व्यक्तव्य में राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थपित करने की प्रतिबद्धता भी स्पष्ट हो रही है। राज्य के शासन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वयस्क सार्वभौम मताधिकार की मौलिक व्यवस्था, भाषायी और धार्मिक अल्पसंख्यकों, महिलाओं और शोषित वर्ग के हितों की रक्षा करना एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ही सम्भव था। अतः संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द भारत में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की मौजूदगी को दर्शाती है।

गणतंत्र– भारत का शासन प्रमुख, जो कि भारत का राष्ट्रपति होता है, चुनाव के बाद सत्ता में आता है, न कि उत्त्राधिकारिता के माध्यम से। संविधान की प्रस्तावना में मौजूद गणतंत्र शब्द इस बात की अभिव्यक्ति करता है किभ्त्र भारत में राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होगा, राज्य प्रमुख का पद किसी परिवार या समुदाय या धर्म विशेष तक सीमित नहीं होगा, जैसा की ब्रिटेन में है। बल्कि राज्य प्रमुख के पद पर कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव के माध्यम से चुनकर आ सकता है, जैसा कि अमेरिका में होता है। गणतंत्र के अर्थ में दो और बातें शामिल हैं। पहली यह कि राजनैतिक सम्प्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथों में होने के बजाए लोगों के हाथों में होती है और दूसरी, किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। अर्थात सार्वजनिक सुविधाएं बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरीक को उपलब्ध होगी।

न्याय– प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। इस संकल्पना को पूरा करने के लिए संविधान में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों और राज्य के

निदेशक तत्वों की व्यवस्था की गई है। नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 38 में संविधान की प्रस्तावना की भावना को ध्वनिमत करते हुए कहा गया है कि 'जन कल्याण की भावना को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य हर सम्भव प्रयास करेगा कि वह एक ऐसी समाज व्यवस्था का निर्माण कर सके जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की प्रत्येक संस्था में विद्यमान रहे।'

स्वतंत्रता– संविधान में प्रत्येक व्यक्ति के स्वतंत्रता संबंधी उन अधिकारों की व्यवस्था की गई है जो व्यक्ति के सम्पूर्ण विकास और एक गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक है। यहां स्वतंत्रता से तात्पर्य नागरीक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता से है। प्रस्तावना में उल्लेखित विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत विभिन्न अनुच्छेदों के तहत् शामिल किया गया है तथा राज्य को इसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से रोका गया है। लेकिन सामाजिक उद्देश्यों के लिए राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। जैसे– धर्म की स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं होगा कि राज्य सामाजिक सुधार के लिए कानून नहीं बना सकता। इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा या प्रांतीय सरकार के समक्ष खतरा उत्पन्न होने की स्थिति में इन अधिकारों को निलम्बित किया जा सकता है।

समता– प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख करता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14–18 में क्रमशः विधि के समक्ष समता तथा विधि के समान संरक्षण, धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव से निषेध, लोक नियोजन में अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत तथा उपाधियों के अंत की चर्चा की गई है। संविधान के दो उपबंध अनुच्छेद 325 और 326 क्रमशः यह व्यवस्था करते हैं कि धर्म, जाति, लिंग या वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने से अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा तथा लोकसभा और राज्यसभा के लिए व्यस्क मताधिकार की व्यवस्था की जाएगी। ये दोनों उपबंध राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते प्रतीत होते हैं। इसके साथ ही निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 यह व्यवस्था करता है कि राज्य पुरुष तथा महिला को जीवन यापन के प्र्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था करेगा।

बंधुत्व– प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व की भावना को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 51क यह कहता है कि यह हर भारतीय नागरीक का कर्तव्य होगा कि वह भाषायी, धार्मिक, साम्प्रदायिक और क्षेत्रीय तथा

जाति–पाति और अमीर गरीब की मानसिकता से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहीत करेगा। इस प्रकार प्रस्तावना नागरीकों को आपसी भाईचारा व बंधुत्व के माध्यम से व्यक्ति के सम्मान तथा देश की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने का संदेश देती है। बंधुत्व का उद्देश्य सम्प्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद तथा भाषवाद जैसी स्मस्याओं को दूर करना है।

व्यक्ति की गरिमा– संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों **व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता सुनिश्चित करने वाला बन्धुत्व बढ़ाने के लिए** से स्पष्ट होता है कि बंधुत्व की भावना से व्यक्ति की गरिमा को सुरक्षित रखने तथा बढावा देने की आशा संविधान द्वारा की जाती है। संविधान निर्माताओं के मन में व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि स्वतंत्रता, समानता आदि के मूल अधिकारों की गारंटी करके तथा निदेशक तत्वों के रूप में राज्य को ये दिशानिर्देश जारी करके कि वह अपनी नीतियों का निर्माण इस प्रकार से करे कि सभी नागरिकों को जीवन यापन के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो सकें, काम करने की न्यायसंगत तथा मानवोचित दशाएं और एक समुचित जीवन स्तर उपलब्ध कराया जा सके तथा व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।

राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता– संविधान की प्रस्तावना संविधान का दर्शन ही नहीं दर्पण भी है। यह संविधान सभा की महान और आदर्श सोच का प्रतिबिम्ब है। हालांकि प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया है, लेकिन यह संविधान का सार है। संविधान की मूल भावना को प्रस्तावना में अंर्तनिहित है। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के कल्पना के भारत का रूप प्रस्तुत करती है। प्रस्तावना में प्रतिबंधकारी शक्तियां भले न हों, परन्तु यह हमारे संविधान की आत्मा है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के शब्दों में **'संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है।'** प्रस्तावना एक ऐसा उचित स्थान है, जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है।